न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

राजस्व निगरानी संख्या 01 / 16 RCMS NO.(2017 / 00009) वर्ष 2016

बउनवानीः—इस्लाम पुत्र मोहम्मद रफीक मुसलमान निवासी मित्रपुरा तहसील बौंली जिला स0मा0

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत मित्रपुरा तहसील बौंली, जिला सवाईमाधोपुर
2. रसीदन पत्नि रसीद मोहम्मद मुसलमान निवासी मित्रपुरा तहसील बौंली
3. नर्बदा पत्नि बजरंग लाल बढेरा निवासी मित्रपुरा तत्काली सरपंच ग्राम पंचायत मित्रपुरा
4. सचिव ग्राम पंचायत मित्रपुरा पंचायत समिति बौंली

(निगरानी पटटा संख्या 99 आदेश दिनांक 3.9.2003 सरपंच ग्राम पंचायत मित्रपुरा के विरूद्व अन्तर्गत धारा 97 पंचायत अधिनियम,1994)

उपस्थितः—1. श्री गोविन्द कुमार दीक्षित वकील निगरानीकार

2. श्री हरिमोहन जाट वकील अप्रार्थी संख्या—2

—: निर्णय :— दिनांक 28.8.2019

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी ,ग्राम पंचायत मित्रपुरा द्वारा दिनांक 3.9.2003 को जारी पटटा संख्या 99 के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि उक्त आदेश दिनांक 3.9.2003 अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षीगणों की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी ।

वकील प्रार्थी ने दौराने सुनवायी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 3.9.2003 को पटटा संख्या 99 तथ्य एवं विधि के विपरीत जाकर जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि निगरानीकर्ता ग्राम मित्रपुरा तहसील बौंली जिला सवाईमाधोपुर का स्थायी निवासी है तथा वर्तमान में जयपुर में निवास करता है। निगरानीकर्ता की शामलाती एक दुकान ग्राम मित्रपुरा में स्थित है जिसे निगरानीकार के पिता रफीक व चाचा रसदी मोहम्मद ने दिनांक 29.10.1967 को दीन मोहम्मद पुत्र छीतर, नन्ना पुत्र दीन मोहम्मद पीनारा मुसलमान निवासी मित्रपुरा से संयुक्त रूप से खरीद की गयी थी जिसको प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 ने किराये पर दे रखी है। उक्त दुकान की खरीद का स्टाम्प दिनांक 29.10.1967 का है। किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के जयपुर निवास करने का फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 3 सरपंच ग्राम पंचायत मित्रपुरा श्रीमति नर्बदा पत्नि बजरंगलाल बढेरा व जगदीश पुत्र नामालूम के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर प्रार्थी को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से एक फर्जी पटटा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी कर दिया गया। जबकि उक्त पटटे पर न तो बुक नम्बर दर्ज है और ना ही मिसल संख्या दर्ज है ना ही निर्णय दिनांक दर्ज है। उपरोक्त पटटों मे ज्यादातर कॉलम रिक्त पडे हुए है। अप्रार्थी संख्या 3 तत्कालीन सरपंच ने अप्रार्थी संख्या 2 से मिलिभगत कर उसके नाम बाहमी तौर पर फर्जी तरीके से पटटा जारी कर दिया गया है। उक्त पटटे में पूर्व पश्चिम सीमाओं में कटिंग कर रखी है तथा उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की पूर्ण रूप से अनदेखी कर फर्जी जारी किया गया है। यह तर्क भी दिया कि उक्त पटटे सें संबंधित कोई प्रार्थना पत्र ,मौका रिपोर्ट, पत्रावली दायरा रजिस्टर में इन्द्राज, फैसला व अन्य कोई दस्तावेज नही है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को उक्त पटटे से संबंधित उपरोक्त दस्तावेजों के नही होने की मौखिक जानकारी दी गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत पत्रावली कायम की जानी चाहिए थी तथा हर खास आम को व विपक्षी को नोटिस दिया जाना चाहिए था एवं विधिवत मौका देखा जाना चाहिए था किन्तु ग्राम पंचायत में उक्त पटटा से संबंधित कोई कार्यवाही के दस्तावेज नही है। जिसके संबंध में निगरानीकार द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट बौंली के समक्ष 202 सीआरपीसी के तहत इस्तगासा पेश किया जो जॉच हेतु थाना बौंली मे भिजवाया गया है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता ने अपनी संयुक्त मालिकाना हक एवं कब्जा की दुकान बाबत अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व वाद पत्र विभाजन पुश्तैनी दुकान एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय सिविल न्यायाधीश बौंली मे पेश किया

ओ० एन० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

गया जिसमे अप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.10.2015 को प्रस्तुत जवाब में उक्त पटटा स्वंय के नाम होना बताये जाने पर आदेश जैर निगरानी की जानकारी होने पर दिनांक 5.1.2016 को नकल हेतु आवेदन किया एवं नकल प्राप्त होने पर निगरानी अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर निगरानी विधि अनुरूप है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि प्रार्थी द्वारा उक्त पटटा दिनांक 3.9.2003 को जारी होना बताया गया है जबकि उक्त पटटा दिनांक 20.1.2004 को जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 द्वारा दिनांक 3.3.2003 को एक प्रार्थना पत्र बाबत स्वंय की दुकान पुख्ता का पटटा बनवाने हेतु पेश किया गया जिसपर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के बयान लिये जाकर दिनांक 5.3.2003 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 5.5.2003 को वार्डपंचों से मौका दिखवाया जाकर दिनांक 20.10.2003 की बैठक में सर्वसम्मति से अप्रार्थी के पक्ष मे पटटा जारी करने का निर्णय लिये जाने के उपरान्त 10/– प्रतिवर्ग गज के हिसाब से 360/–रू जमा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 20.1.2004 को पटटा संख्या 99 जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा सभी कानूनी प्रकिया पूर्ण कर पटटा संख्या 99 दिनांक 20.1.04 जारी किया है इसलिए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया ।

वकील उभयपक्षों की और से दौराने बहस प्रस्तुत तथ्यों को श्रवण करने एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम तो प्रार्थी की ओर से पटटा संख्या 99 दिनांक 3.9.2003 को जारी होना बताया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकार्ड एवं वकील अप्रार्थी के कथनानुसार उक्त पटटा दिनांक 20.1.2004 को जारी किया गया है। ग्राम पंचायत मित्रपुरा द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं वकील अप्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 3.3.2003 को एक प्रार्थना पत्र बाबत स्वंय की दुकान पुख्ता का पटटा बनवाने हेतु पेश किया गया जिसपर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी के बयान लिये जाकर दिनांक 5.3.2003 को आपत्ति नोटिस जारी किया गया एवं दिनांक 5.5.2003 को मौका दिखवाया जाकर दिनांक 20.10.2003 की बैठक कार्यवाही विवरण में सर्वसम्मति से अप्रार्थी के पक्ष मे पटटा जारी करने का निर्णय लिये जाने के उपरान्त 10/–प्रतिवर्ग गज के हिसाब से 360 रू जमा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 20.1.2004 को पटटा संख्या 99 जारी किया गया है। इस प्रकार वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन का खण्डन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड एवं वकील अप्रार्थी के कथन से हो जाता है। इसके अतिरिक्त उक्त विवादित भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय बौली के न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में भी विक्रय विलेख दिनांक 29.10.67 मे विवादित दुकान के संबंध में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नही होने के कारण दिनांक 31.5.2019 को खारिज किया जा चुका है है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत मित्रपुरा द्वारा विधिसम्मत पारित आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर आदेश जैर निगरानी यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.8.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.28 17:21:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: